न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आशीष श्रीवास्तव**

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2929–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–7–12 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर , प्रकरण कमांक 126/अपील/अ–6/10–11.

बल्ला तनय श्री जसुवा अहिरवार
निवासी ग्राम रानीपुरा (बगरोडी)
तहसील शाहगढ़ जिला सागर
म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1– नुनिया बाई पत्नि मोयहनअहिरवार
निवासी शाहडगढ़ तहसील शाहगढ़
जिला सागर म0प्र0
2– भरोसा तनय रमजुवा अहिरवार
3– जसुवा तनय रमजुवा अहिरवार
4– लक्खू तनय रमजुवा अरिवार
5– निब्बू तनय रमजुवा अहिरवार
सभी निवासी ग्राम रानीपुरा (बगरोही)
तहसील शाहगढ़ जिला सागर म0प्र0

—— अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव , अभिभाषक, आवेदक
श्री संजय खरे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: **आ दे श** ::

(आज दिनांक 26.11.15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–7–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

Parked

2– प्रकरण का संक्षेप सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक नुनियाबाई के पति स्व0 मोहन अहिरवार उर्फ मोहनियां अहिरवार निवासी शाहगढ़ तहसील शाहगढ़ जिला सागर को मौजा बगरौही पटवारी हल्का न0 92 शाहगढ़ के खसरा न0 387, 642, 646, 678 कुल रकबा 0.87 तथा मौजा कर्राई के खसरा न0 34 रकबा 1.00 है0 की भूमि म0प्र0 शासन द्वारा पटटे पर प्राप्त हुई थी । मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार के यहां कोई जीवित संतान नहीं होने के कारण उसने अपने भतीजे आवेदक को गोद लिया तथा अपनी मृत्यु पूर्व अपने स्वामित्व की भूमि के संबंध में आवेदक के पक्ष में दिनांक 13.10.05 को वसीयतनामा निष्पादित किया। मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार की मृत्यु दिनांक 5.2.06 को हो गई। अनावेदक कमांक–1, जो मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार की पत्नी है, को ग्राम पंचायत बगरोही के प्रस्ताव कमांक –2 पर, ग्राम कर्राई की संशोधन पंजी कमांक 5 एवं ग्राम बगरोही की संशोधन पंजी कमांक –6 पर प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 14.3.06 द्वारा ग्राम कराई स्थित भूमि खसरा नंबर 34 रकबा 1.00 है0 तथा ग्राम बगरोही स्तिथ भूमि खसरा नंबर 337, 642, 646, 678, रकबा कमशः 0.01, 0.34, 0.20 व 0.32 कुल रकबा 0.87 है0 पर भूमिस्वामी मोहनियां उर्फ मोहन अहिरवार तनय रमजुवा की फौती दर्ज कर अनावेदक कमांक–1 नुनिया बाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। इस से व्यथित होकर आवेदक बल्ला पिता जसुवा अहिरवार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें उनके द्वारा दिनांक 28.9.2007 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत बगरोही का संशोधन आदेश दिनांक 14.3.06 अवैधानिक मानते हुये निरस्त किया गया तथा प्रकरण नायब तहसीलदार शाहगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि सभी हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना तामील कराई जाकर और सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाकर विधिसंगत आदेश पारित किया जाये। उपरोक्त आदेश के पालन में तहसीलदार शाहगढ़ के द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–6/08–09 दर्ज कर प्रकरण की सुनवाई की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि वसीयत के गवाहों के बयानों में भिन्नता है तथा वसीयत का परीक्षण कराये जाने पर वसीयतनामा संदेहात्मक प्रतीत होती है । इन कारणों से तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा मृतक खातेदार मोहन बल्द रमजुवा का नाम खाते से अलग करते हुये वारिसान हक में मृतक की पत्नि नुनियाबाई विधवा मोहन अहिरवार

निवासी बगरोही के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। इससे परिवेदित होकर आवेदक बल्ला द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर के यहां अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण कमांक 86/अ–6/09–10 में पारित आदेश करते हुये आवेदक की अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–68 के प्रावधानों के अंतर्गत अगर एक भी साक्षी वसीयतनामे को प्रमाणित करता है तो भी वह स्वीकार किया जावेगा। इससे परिवेदित होकर अनावेदिका नुनियाबाई ने आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 9.7.12 को यह निष्कर्ष निकालते हुये अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया कि जब तक किसी संपत्ति का प्रतिफल चुकाने के साथ विधिवत दस्तावेज को उप पंजीयक के यहां पंजीकृत न कराया जाए तब तक सम्पत्ति का अंतरण किया जाना विधि संगत नहीं है । इससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है ।

3– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी बण्डा का आदेश दिनांक 30.10.10 मात्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया है कि मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार का वसीयतनामा अंपजीकृत दस्तावेज है जबकि संयुक्त हिन्दू परिवार में किसी सदस्य को अपंजीकृत वसीयतनामे के आधार पर कृषि भूमि का नामांतरण किया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार ने अपनी पत्नी अनावेदिका कमांक–1 नुनिया बाई को संपत्ति कें उपयोग का अधिकार सुरक्षित किया है। उनके द्वारा अंत में यह निवेदन किया कि अनुविभागीय अधिकारी बण्डा का आदेश स्थिर रखा जावे तथा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है ।

4– अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि वाद भूमि मोहन अहिरवार के नाम राजस्व अभिलेख शामिल शरीक दर्ज थी, मोहन अहिरवार की पत्नी नुनियाबाई अनावेदक न0–1 जीवित है जो मात्र वैध वारिस होने के नाते नामांतरण की अधिकारी है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा वसीयत को संदिग्ध मानते हुये वारिसान हक में विधिवत आदेश पारित किया है । वसीयतनामा सादे कागज पर

लिखा गया है तथा साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है। उनके द्वारा अंत में निवेदन किया गया कि आयुक्त सागर संभाग सागर का आदेश दिनांक 9.7.12 विधिवत पारित किया गया आदेश है जो सही है, अतः निगरानी निरस्त की जावे ।

5– उपरोक्त तर्को के प्रकाश में मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया। आयुक्त, सागर संभाग, सागर के द्वारा आदेश दिनांक 9.7.12 में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि किसी संपत्ति के संबंध में जब तक उसका प्रतिफल चुकाने के साथ विधिवत रूप से दस्तावेज को उपपंजीयक के यहा पंजीकृत न कराया जावे, सम्पत्ती का अंतरण किया जाना विधिसंगत नहीं है। उनका यह निष्कर्ष सही नहीं है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वसीयतनामा स्टाम्प पेपर पर ही लेख किया गया हो, जिस संबंध में समुचित विवरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.10.10 में वसीयतनामे को मान्य करने के कारणों एवं आधारों का विस्तार से उल्लेख किया है जिन्हें यहां नहीं दोहराया जा रहा किंतु जिनसे यह न्यायालय सहमत है। इन कारणों में अनुविभागीय अधिकारी ने साक्षियों के संबंध में यह भी लिखा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–68 के प्रावधानों के अंतर्गत अगर एक भी साक्षी वसीयतनामे को प्रमाणित करता है तो भी वह स्वीकार किया जावेगा। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश एक बोलता हुआ आदेश है जिसमें उन्होंने कारणों का आधार लेते हुये अपने निष्कर्ष निकाले हैं।

अतः अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण कमांक 85/अ–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 30.10.10 स्थिर रखा जाता है तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर का आक्षेपित आदेश दिनांक 9.7.12 निरस्त करते हुये यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

साथ ही, वसीयतनामे में किये गये उल्लेख के प्रकाश में यह भी निर्देशित किया जाता है कि जब तक नुनियाबाई पत्नी मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार जीवित रहेंगी और स्व0 मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार के घर पर रहेंगी तब तक उनको घर से तथा मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार की वसीयतनामे से संबंधित चल अचल संपत्ति से उनकी मर्जी के खिलाफ़ अथवा किसी भी प्रकार की धौंस, दबाव, अनुचित प्रभाव इत्यादि का इस्तेमाल कर बेदखल न किया जावे, एवं ऐसी समस्त संपत्ति पर वसीयतनामे के अनुसार उनके

(नुनियाबाई के) उपयोग/उपभोग करने का अधिकार सुरक्षित एवं संरक्षित रखना सुनिश्चित किया जाये। अतः, जब तक नुनियाबाई जीवित रहेंगी और स्व0 मोहन उर्फ मोहनियां अहिरवार के घर पर रहेंगी, तब तक उनकी अपनी मर्ज़ी से और बगैर किसी भी प्रकार की धौंस, दबाव, अनुचित प्रभाव इत्यादि के उनके द्वारा असंबद्ध साक्षियों के समक्ष लिखित में दी गई नोटराइज़्ड/ रजिस्टर्ड सहमति के, इस संपत्ति को विक्रय अथवा अन्य माध्यम से किसी अन्य को अंतरित करने का अधिकार आवेदक निगराकार बल्ला को नहीं रहेगा, भले ही उन्होंने (बल्ला ने) वसीयतनामे में लिखे अनुसार विषयांकित संपत्ती अभिलेखों में अपने नाम पर दर्ज करा ली हो।

आदेश पारित । पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापिस हों । प्रकरण दा0द0 हो।

आशीष श्रीवासतव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर